

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार 2018/केम्प कोर्ट)

म पीठासीन अधिकारी - श्री गोपाललाल स्वर्णकार (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या / / 2018

दायर दि0 16-5-19

फैसल दि0 16-5-19


श्री जयवंत सिंह
पि. किशोर सिंह
(वादी)

अनवान
बनाम भूमिधारी
तहसीलदार सागवाडा
(प्रतिवादी)

वादी श्री जयवंत सिंह/किशोर सिंह ने वाद प्रस्तुत कर
मोजा वरदा के खाता नम्बर ५११ जमाबन्दी सं० २०७१-७५
में अंकित स्वयं/पिता का नाम अशवत्त सिंह/किशोर सिंह
गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है
। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर
रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम
जयवंत सिंह/किशोर सिंह है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम
अशवत्त सिंह/किशोर सिंह दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है
प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम जयवंत सिंह/किशोर सिंह
होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता
पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद
स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार सागवाडा/गलियाकोट को आदेश दिया
जाता है कि मोजा वरदा की जमाबन्दी संवत् २०७१-७५ के
खाता संख्या ५११ में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत नाम
अशवत्त सिंह/किशोर सिंह में संशोधन कर सही नाम
जयवंत सिंह/किशोर सिंह दर्ज रेकार्ड किया जावे ।

निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार
हो नम्बर से कम हो ।


उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा